कार्यालय सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा – रायसेन

क्रमांक /1293/वि.अ./नग्रानि/10 विदिशा, दिनांक 04-09-10

प्रति,

श्री सनतकुमार दत्ता,
आत्मज शंकर प्रसाद दत्ता,
निवासी विदिशा

विषय :– ग्राम मदनखेड़ा के भूमि खसरा क्रमांक 17/2 रकबा 1150 वर्गमीटर भूमि पर गोदाम उपयोग हेतु विकास अनुज्ञा बाबत् ।

संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2010 एवं मुख्य नगर पालिका परिषद् विदिशा का पत्र क्रमांक 2917, दिनांक 30.06.2010

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि तहसील विदिशा के ग्राम मदनखेड़ा की भूमि खसरा क्रमांक 17/2 रकबा 1150 वर्गमीटर भूमि पर 'गोदाम निर्माण' हेतु इस कार्यालय से विकास अनुज्ञा चाही गई है । विदिशा विकास योजना में प्रश्नाधीन भूमि 'कृषि' भू–उपयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट है।

अतः प्रश्नाधीन भूमि पर 'कृषि' भू–उपयोग के अन्तर्गत 'गोदाम प्रयोजन' हेतु म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27(1) के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों के आधार पर विकास अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा।
   1. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959
   2. भू–अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, विदिशा
   3. नजूल अधिकारी, विदिशा
   4. मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, विदिशा
   5. जल संसाधन विभाग (बांध नहर व नदियों से लगी भूमि के विकास हेतु)
   6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा।
2. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग राष्ट्रीय राज्यमार्ग–86 के मध्य से 40.0 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि छोडने के पश्चात् ही निर्माण करना होगा। इस संबंध में राष्ट्रीय राज्यमार्ग/लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों अनुसार मार्ग चौडाई/विस्तार मान्य होगा।

Cont. 2

4. प्रश्नाधीन भूमि मे निर्मित क्षेत्र मानचित्र मे दर्शाये अनुसार 26 प्रतिशत् मान्य होगा।
5. एफ.ए.आर. 1.00 तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.0 मीटर।
6. एम.ओ.एस. निम्नानुसार है –

   सामने – 6.0 मीटर पीछे – 6.0 मीटर

   आजू – 6.0 मीटर बाजू – 6.0 मीटर भूमि छोडना आवश्यक होगा
7. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78(4) में प्रावधानों के अनुरुप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
8. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरुप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
9. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नही होगा।
10. किसी भी प्रकार की भूमि वाद–विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
11. इस अनुज्ञा को भू–स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
12. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नही होगा।
13. प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रुप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा नगर पालिका परिषद् विदिशा से प्राप्त की जाना होगा।
14. उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 मे तहत् रिवोक कर दी जावेगी।

7/9/10
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, विदिशा

1294, 1295
क्रमांक/ /वि.अ./नग्रानि/10 विदिशा, दिनांक 04-09-10

प्रतिलिपि :–

1. उपखण्ड अधिकारी, विदिशा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् विदिशा की ओर पत्र क्रमांक 2917 दिनांक 30.06.2010 के संदर्भ मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7/9/10
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, विदिशा